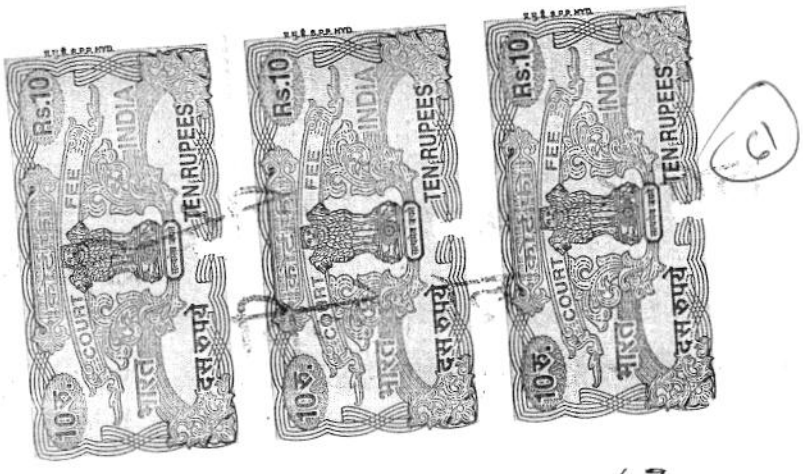

30

R693-I-17

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक दो / 2016 निगरानी

कृष्ण गोपाल पुत्र श्री रामदीन इजारदार, निवासी कस्बा भाण्डेर, जिला दतिया म.प्र.।

................आवेदक

विरूद्ध

1– कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामदीन इजारदार, निवासी कस्बा भाण्डेर, जिला दतिया म.प्र.।

2– राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामदीन इजारदार, निवासी कस्बा भाण्डेर, जिला दतिया म.प्र.।

3– अमित कुमार पुत्र श्री अरूण कुमार, निवासी कस्बा भाण्डेर, जिला दतिया म.प्र.।

4– अखिलेश कुमार पुत्र श्री अरूण कुमार, निवासी कस्बा भाण्डेर, जिला दतिया म.प्र.।

.............अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध निगरानी प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, परगना, भाण्डेर, जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 17/ए–27/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.01.2017

माननीय महोदय,

आवेदक ने उपरोक्त निगरानी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, परगना, भाण्डेर, जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 17/ए–27/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के निराकरण हेतु प्रार्थी की निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है–

आधार :–

1– यहकि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायालय के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश संहिता में दी गई प्रक्रिया के विपरीत होकर न्यायलीन प्रक्रिया का पालन न करने से भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.01.2017 को जो प्रकरण प्रचलन शीलता पर नियत होकर उस आदेश देना था जो विचार न कर प्रकरण में जबाव हेतु दिनांक 14.02.2017 नियत कर दी गई, जो पुनश्च आदेश पत्र का लिखकर दिनांक 28.01.2017 तिथि अंकित कर दी गई। आवेदक माननीय न्यायालय में विचाराधीन निगरानी प्रकरण 2627 दो 2015 निगरानी को विफल करने के लिए उक्त प्रकरण का नोटिस प्राप्त होने व जानकारी होने के बावजूद तथ्यों को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर बंटवारा बटांकन हेतु प्रस्तुत किया जो किसी भी प्रकार प्रचलनशील नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम प्रारंभिक प्रश्न के रूप में उक्त बिन्दु को निरकरण करना चाहिए था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु के निराकरण हेतु दिनांक 20.01.2017 नियत कर दी थी किन्तु दिनांक 20.01.2017 को उक्त

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 693–एक/2017 जिला–दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
8–2–19	आवेदक के अधिवक्ता श्री ए0 के0 अग्रवाल उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार तहसील भाण्डेर जिला दतिया के प्रकरण कमांक 17/अ–27/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20/01/17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 कलेक्टर जिला दतिया	